

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the '*Committee on Publication Ethics*'

Online ISSN:2584-184X



Research Article

सहरिया जनजाति में खाद्य असुरक्षा: बारां जिले के विशेष संदर्भ में

महेश कुमार गुर्जर

शोधार्थी, शोध केन्द्र, डॉ. बी आर अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, बिलाड़ा, जोधपुर, राजस्थान भारत

Corresponding Author: * महेश कुमार गुर्जर

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23180613>

सारांश

इस शोध पत्र का शीर्षक 'सहरिया जनजाति में खाद्य असुरक्षा' राजस्थान के बारां जिले में सहरिया जनजातीय समुदाय के बीच गरीबी, आजीविका असुरक्षा और खाद्य असुरक्षा के जटिल संबंधों की खोज करता है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में पहचान रखने वाली सहरिया जनजाति लगातार भूमिहीनता, मौसमी प्रवासन और स्थिर आय स्रोतों की अपर्याप्त पहुंच के कारण पुरानी सामाजिक-आर्थिक हाशिए पर रहने की स्थिति का सामना कर रही हैं। क्षेत्र-आधारित गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा के आधार पर, शोध यह उजागर करता है कि असामान्य रोजगार, वन संसाधनों पर निर्भरता और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच की कमी लगातार आजीविका असुरक्षा में योगदान करती है। इसके परिणामस्वरूप खाद्य असुरक्षा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के बीच कुपोषण, असंतुलित आहार और खराब स्वास्थ्य के रूप में होते हैं। जाति आधारित बहिष्कार, कमजोर संस्थागत समर्थन और पर्यावरणीय गिरावट जैसे संरचनात्मक बाधाएं उनकी संवेदनशीलता को और गहरा करती हैं। यह पत्र एक अधिक समग्र नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है जो स्थायी आजीविका सृजन, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे PDS और MGNREGA के प्रभावी कार्यान्वयन, और जनजातीय समुदायों के लिए लक्षित समर्थन सुनिश्चित करता है।

Manuscript Information

- ISSN No: 2584-184X
- Received: 01-01-2026
- Accepted: 29-06-2026
- Published: 10-07-2026
- MRR:4(SP1); 2026: 271-276
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

गुर्जर म कु. सहरिया जनजाति में खाद्य असुरक्षा: बारां जिले के विशेष संदर्भ में.
Indian J Mod Res Rev.
2026;4(SP1):271-276.

Access this Article Online



www.mrrjournal.in

मुख्य शब्द: खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, PVTGs, सहरिया जनजाति, जनजातीय कल्याण।

प्रस्तावना

भारत में जनजातीय जनसंख्या के मध्य खाद्य असुरक्षा का मुद्दा विकास अध्ययन और नीति संवाद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उभरा है। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTG) में, राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी बारां जिले की सहरिया जनजाति सामाजिक-आर्थिक संकेतकों, पोषण स्वास्थ्य और संस्थागत कल्याण तक पहुंच के मामले में सबसे वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में से एक है। ऐतिहासिक रूप से वन पर निर्भर और पारंपरिक रूप से छोटे वन उत्पाद संग्रहण और कृषि श्रम जैसी आजीविका गतिविधियों में संलग्न, सहरिया जनजाति, बढ़ती वनों की कटाई, विस्थापन और आर्थिक बहिष्कार के कारण जीवित रहने के किनारों पर धकेल दिए गए हैं (जैक्सा, 2005)। जनजातीय कल्याण के लिए लक्षित नीतियों के बावजूद, जमीनी हकीकतें आजीविका स्थिरता और खाद्य पहुंच के लिए एक निरंतर संघर्ष को प्रकट करती हैं, जिससे गरीबी और भूख का एक बहुआयामी चक्र उत्पन्न होता है। बारां जिले में कुपोषण से संबंधित मौतों की लगातार रिपोर्टें ने इस समुदाय की संवेदनशीलता पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, जिससे सहरिया जनजाति के बीच खाद्य असुरक्षा के संरचनात्मक और प्रणालीगत कारणों की जांच करना अनिवार्य हो गया है।

इस अध्ययन का उद्देश्य बारां जिले में सहरिया जनजाति के बीच खाद्य असुरक्षा की जांच करना है। इसका उद्देश्य उनकी आजीविका के पैटर्न, आय के स्रोतों, मौसमी प्रवास पर निर्भरता और पारंपरिक साधनों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी राज्य-प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से खाद्य पहुंच को समझना है। अध्ययन आगे संस्थागत अंतराल की पहचान करने और सामाजिक बहिष्कार, पारिस्थितिकी के क्षय और नीति विफलता की भूमिका की खोज करने का प्रयास करता है। अनुसंधान का तर्क इसके संभावित योगदान में निहित है, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन पर व्यापक संवाद के भीतर अक्सर अनदेखी की गई जो अकादमिक अध्ययन और नीति निर्माण दोनों में सहायक हो सकता है, (ट्रेज़ और खेरा, 2017)।

अध्ययन का दायरा बारां जिले के चयनित गांवों तक सीमित है जहां सहरिया जनसंख्या का घनत्व उच्च है और जहां वर्षों से खाद्य असुरक्षा की रिपोर्ट लगातार की गई है। अध्ययन का महत्व इसके अंतःविषय दृष्टिकोण में निहित है, जो मानवशास्त्रीय अंतर्दृष्टियों को विकास अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति के दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है। एक स्थानीय भौगोलिक संदर्भ में एकल जनजातीय समूह पर ध्यान केंद्रित करके, अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम स्थानीय सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के सामने कैसे प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा, निष्कर्षों की अपेक्षा की जाती है कि लक्षित हस्तक्षेपों को सूचित करें, कार्यान्वयन रणनीतियों में सुधार करें, और जनजातीय-केंद्रित नीतियों को मजबूत करें।

इसके अलावा, यह निष्कर्ष लक्षित हस्तक्षेपों को सूचित करने, कार्यान्वयन रणनीतियों में सुधार करने और जनजातीय-केंद्रित खाद्य नीतियों को मजबूत करने की उम्मीद है। विधिक रूप से, अध्ययन एक मिश्रित-तरीकों के दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसमें मात्रात्मक घरेलू सर्वेक्षणों को गुणात्मक उपकरणों जैसे अर्ध-संरचित साक्षात्कार,

फोकस समूह चर्चाएँ और प्रतिभागी अवलोकन के साथ जोड़ा गया है। प्राथमिक डेटा 100 सहरिया परिवारों से दो ब्लॉकों/कृषिगंगज और शाहाबाद में एकत्र किया गया, जिन्हें स्तरित उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण के माध्यम से चुना गया। द्वितीयक डेटा स्रोतों में सरकारी रिकॉर्ड, NFSA और MGNREGA रिपोर्ट, जनगणना डेटा और संबंधित साहित्य शामिल थे। नैतिक अनुसंधान प्रोटोकॉल का पालन किया गया, जिससे प्रतिभागियों की सूचित सहमति और गुमनामी सुनिश्चित हो सके। विश्लेषण वर्णात्मक सांख्यिकी और विषयगत सामग्री विश्लेषण दोनों का उपयोग करके किया गया ताकि मात्रात्मक संकेतकों के पीछे के अनुभवों को अनुरक्षित किया जा सके।

सहरिया जनजाति का सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल

सहरिया जनजाति, जो मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के बारां जिले में केंद्रित है, भारत के सबसे सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों में से एक है। उनकी ऐतिहासिक पहचान वन-आधारित आजीविका, शिकार और छोटे वन उत्पादों के संग्रह में निहित है, हालांकि उपनिवेशीय वन नीतियों और स्वतंत्रता के बाद के संरक्षण ढांचों ने उन्हें धीरे-धीरे उनके पारंपरिक निवास स्थान से विस्थापित कर दिया। ऐतिहासिक रूप से, सहरिया सेमी-नॉमैडिक रहे हैं, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। समय के साथ, वे अक्सर राजस्व गांवों के परिधियों पर या वन क्षेत्रों के निकट छोटे बस्तियों और गांवों में बसने लगे,। उनका हाशियाकरण ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ जब भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वन तक पहुंच को सीमित किया गया, जिससे उन्हें स्थानीय जमींदारों के लिए बंधुआ श्रमिक और कृषि श्रमिक के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यह प्रथा स्वतंत्रता के बाद के समय में भी जारी रही (गुप्ता, 2002)।

जनसांख्यिकीय रूप से, राजस्थान में सहरिया जनसंख्या मुख्य रूप से बारां में केंद्रित है, जबकि कोटा और झालावाड़ में सीमित जनसंख्या है। भारत की जनगणना (2011) के अनुसार, यह जनजाति कम साक्षरता दर, उच्च निर्भरता अनुपात और खराब स्वास्थ्य सूचकांकों का प्रदर्शन करती है। उनकी बस्तियाँ अक्सर खराब आवासीय स्थिति, स्वच्छता की कमी, साफ पीने के पानी की न्यूनतम पहुंच और अपर्याप्त शैक्षिक बुनियादी ढांचे से चिह्नित होती हैं। सामाजिक रूप से, वे मुख्यधारा के जाति और वर्ग नेटवर्क से अलग-थलग रहते हैं, जाति आधारित भेदभाव और प्रणालीगत उपेक्षा का अनुभव करते हैं।

भारत सरकार ने सहरियाओं को एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया है, जो उनकी घटती जनसंख्या, कृषि पूर्व तकनीकी स्तर, आर्थिक पिछड़ापन और स्थिर या घटती साक्षरता को मान्यता देने के लिए है। यह वर्गीकरण विशेष पोषण समर्थन, विशेष नीति लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। यह वर्गीकरण लक्षित नीति लाभ सुनिश्चित करने के लिए है, जैसे विशेष पोषण समर्थन, विशेष आवास योजनाएँ, और आरक्षित शैक्षणिक और रोजगार के अवसर। हालाँकि, व्यावहारिक रूप से मुख्यतः कार्यान्वयन बाधाओं और नौकरशाही की अक्षमताओं के कारण इस PVTG की स्थिति में व्यावहारिक सुधार नहीं हुआ है, (जनजातीय मामलों मंत्रालय, 2018)।

सांस्कृतिक रूप से, सहरिया अपने पर्यावरण से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनकी मौखिक परंपराएँ, लोक गीत, और स्वदेशी ज्ञान प्रणाली एक समृद्ध लेकिन संवेदनशील विरासत को दर्शाती हैं। वे पारंपरिक रूप से वन आधारित व्यवसायों पर निर्भर थे। जैसे - तेंदू की पत्तियाँ, शहद, महुआ, और औषधीय जड़ी-बूटियाँ इकट्ठा करना। वन तक पहुँच पर बढ़ती पाबंदियों और वन उत्पादों के व्यावसायीकरण के कारण, ये आजीविकाएँ घट गई हैं। आज अधिकांश सहरिया परिवार दैनिक मजदूरी, निकटवर्ती राज्यों में ईंट भट्टों और खेतों के लिए मौसमी प्रवास, या असंगठित क्षेत्र की नौकरियों पर निर्भर हैं। पारंपरिक कृषि सिंचाई या आधुनिक इनपुट की पहुँच के बिना, वर्षा पर निर्भर और आत्म-निर्भर होती है, । राज्य हस्तक्षेप के बावजूद, भूमि शीर्षकों और आर्थिक विकल्पों की अनुपस्थिति ने सहरियाओं को गरीबी और खाद्य असुरक्षा के चक्र में छोड़ दिया है।

बारां जिले की सहरिया जनजाति भारत के जनजातीय परिदृश्य में अत्यधिक गरीबी और आजीविका की अस्थिरता का प्रतीक है। अधिकांश सहरिया परिवार कृषि श्रम, निर्माण कार्य, या छोटे वन उत्पादों के संग्रह और बिक्री के माध्यम से अर्जित मामूली दैनिक मजदूरी पर जीवित रहते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, औसत वार्षिक घरेलू आय अक्सर गरीबी रेखा से नीचे गिर जाती है, जिससे वे खाद्य असुरक्षा, ऋण चक्र, और मौसमी संकट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

भूमि की कमी सहरिया जनजाति के मध्य वंश का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या तो बिना भूमि के है या ऐसे सीमांत भूखंडों का मालिक है जो न तो सिंचित हैं और न ही कानूनी रूप से मान्य हैं। यह उनकी स्थायी कृषि करने या पीएम-किसान या कृषि सब्सिडी जैसी राज्य योजनाओं से लाभ उठाने की क्षमता को सीमित करता है। पारंपरिक रूप से तेंदू की पत्तियाँ, महुआ, और शहद इकट्ठा करने जैसे वन आधारित आजीविकाओं पर निर्भर रहने वाले समुदाय को पर्यावरण नीतियों और वन संरक्षण अधिनियमों के कारण बढ़ती पाबंदियों का सामना करना पड़ा है। वन अधिकार अधिनियम (2006) के तहत सीमित अधिकारों और अपर्याप्त कार्यान्वयन के साथ, कई सहरिया प्रभावी रूप से अपने पारंपरिक पारिस्थितिक संसाधनों से वंचित हो गए हैं (सुंदर, 2008)।

काम की तलाश में मौसमी प्रवास की मजबूरी एक गहरी आजीविका संकट को दर्शाती है। पूरे परिवार, जिसमें महिलाएँ और बच्चे शामिल हैं, शहरी केंद्रों या पड़ोसी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवास करते हैं। सहरिया बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य बुनियादी सेवाओं तक पहुँच गंभीर रूप से सीमित है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम और मध्याह्न भोजन योजनाओं के बावजूद, सहरिया बच्चों की स्कूल उपस्थिति प्रवास, गरीबी और बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण अनियमित है। स्वास्थ्य सेवाएँ भी समान रूप से अविकसित हैं; कुपोषण, एनीमिया और रोकथाम योग्य बीमारियों की उच्च दरें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और साफ पेयजल की कमी के कारण बनी रहती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अक्सर इन दूरदराज और उपेक्षित क्षेत्रों तक पहुँचने में विफल रहते हैं, जबकि सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएँ समुदाय को मुख्यधारा के संस्थानों से और अधिक अलग कर देती हैं।

खाद्य असुरक्षा के आयाम

बारां जिले के सहरिया जनजाति के बीच खाद्य असुरक्षा को केवल अपर्याप्त खाद्य सेवन के मामले के रूप में नहीं समझा जा सकता; बल्कि इसे उपलब्धता, पहुँच, उपयोग और स्थिरता सहित एक बहुआयामी मुद्दे के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। खाद्य और कृषि संगठन (FAO, 2008) खाद्य असुरक्षा को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जिसमें लोगों के पास सामान्य वृद्धि और विकास और एक सक्रिय, स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक नियमित पहुँच नहीं होती। यह परिभाषा इस बात पर जोर देती है कि खाद्य असुरक्षा केवल भूख के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें पोषक तत्वों का अपर्याप्त सेवन, खराब खाद्य गुणवत्ता, और लगातार खाद्य पहुँच में सामाजिक या आर्थिक बाधाएँ शामिल हैं।

बारां जिला के जनजातीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से सहरिया बस्तियों के भीतर, खाद्य असुरक्षा तीन स्तरों पर प्रकट होती है: उपलब्धता, पहुँच और उपयोग। उपलब्धता अक्सर भूमि की कमी, खराब कृषि उत्पादकता और सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण कमजोर होती है। सहरिया समुदाय अक्सर अपने लिए पर्याप्त भोजन उत्पादन नहीं करते हैं और बाजार की खरीद और सार्वजनिक खाद्य योजनाओं पर भारी निर्भर रहते हैं। हालाँकि, पहुँच अनियमित आय, खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसे संस्थागत अधिकारों से बहिष्कार के कारण सीमित है, जो जनजातीय क्षेत्रों में लीक और अक्षमताओं से ग्रस्त है (खेरा, 2011)। उपयोग - जो शरीर की पोषक तत्वों को ग्रहण करने और चयापचय करने की क्षमता को संदर्भित करता है - खराब स्वास्थ्य स्थितियों, स्वच्छता की कमी और असुरक्षित पेयजल के कारण और भी सीमित होता है, जिससे व्यापक कुपोषण होता है।

सहरिया महिलाओं और बच्चों के बीच, कुपोषण एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बना हुआ है। अध्ययन और क्षेत्र सर्वेक्षण इस जनसंख्या में कुपोषण, बौनेपन और एनीमिया के चिंताजनक स्तरों की रिपोर्ट करते हैं, जो दीर्घकालिक आहार की कमी और स्वास्थ्य देखभाल की उपेक्षा की ओर इशारा करते हैं। शिशु और बाल मृत्यु दर असामान्य रूप से उच्च हैं, जो निम्न जन्म वजन, संस्थागत मातृ देखभाल की अनुपस्थिति और खराब टीकाकरण कवरेज के संयोजन के कारण है। यद्यपि एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) जैसे योजनाओं की उपस्थिति है, लेकिन आंगनबाड़ी स्तर पर कार्यान्वयन में कमी और भ्रष्टाचार लक्षित लाभों को गंभीरता से सीमित करते हैं। महिलाओं का स्वास्थ्य विशेष रूप से बाल विवाह, उच्च प्रजनन दर और घरों में लिंग आधारित खाद्य वितरण प्रथाओं के कारण प्रभावित होता है, जहाँ महिलाएँ अक्सर अंतिम और सबसे कम खाती हैं।

परंपरागत रूप से, सहरिया आहार में वन आधारित खाद्य पदार्थ जैसे जंगली फल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, कंद और दालें शामिल थीं, जो महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करती थीं। हालाँकि, वन तक पहुँच में कमी और गेहूँ और चावल जैसे बाजार में खरीदे गए अनाज पर बढ़ती निर्भरता के कारण, उनका आहार एकरस और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो गया है, जिसमें आवश्यक विटामिन और प्रोटीन की कमी है। पारंपरिक खाद्य ज्ञान की हानि, कृषि के वाणिज्यीकरण और सांस्कृतिक हाशिएकरण के साथ मिलकर, आहार विविधता को और अधिक कमजोर कर दिया है। नतीजतन, सहरियाओं के बीच खाद्य

असुरक्षा केवल अपर्याप्त कैलोरी के बारे में नहीं है, बल्कि खराब गुणवत्ता वाले आहार के बारे में है, जो कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का दोहरा बोझ लाता है।

संरचनात्मक और नीतिगत बाधाएँ

हालांकि कई कल्याण योजनाएँ भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच गरीबी को कम करने और खाद्य और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन बारां जिले जैसे आदिवासी क्षेत्रों में उनका कार्यान्वयन संरचनात्मक अक्षमताओं और प्रणालीगत उपेक्षा से भरा हुआ है। सहरिया जनजाति, जिसे विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में मान्यता प्राप्त है, फिर भी प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), और एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के लाभों से लगातार बहिष्कृत होती है।

(PDS) जिसका उद्देश्य गरीब घरों को सब्सिडी वाले अनाज प्रदान करना है, अक्सर असमान आपूर्ति, निम्न गुणवत्ता वाले राशन और अन्य त्रुटियों के कारण सहरियाओं के लिए विफल रहता है। कई आदिवासी घरों के पास राशन कार्ड नहीं होते हैं या उन्हें गरीबी रेखा के ऊपर (ICSS) श्रेणियों के तहत गलत वर्गीकृत किया जाता है, जिससे वे अधिकारों से प्रभावी रूप से अयोग्य हो जाते हैं। इसी तरह, MGNREGA, जो प्रति घर वार्षिक 100 दिनों की सवेतन रोजगार का वादा करता है, लेकिन यह भुगतान में विलंब एवं गैर-पारदर्शी कार्य से प्रभावित होता है। एक समुदाय जो वेतन श्रम पर बहुत निर्भर करता है, इन विफलताओं से उनकी आय आधार और भी अस्थिर हो जाता है (डे - बेदी, 2010), ICDS योजना, जो मातृ और बाल पोषण के लिए महत्वपूर्ण है, दूरदराज के आदिवासी बस्तियों में अच्छी तरह से कार्यान्वित नहीं है, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र या तो नियमित रूप से कार्य नहीं करते हैं या अयोग्य प्रबंधन द्वारा चलाए जाते हैं। पोषण संबंधी सप्लीमेंट अक्सर लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुँचते हैं, और स्वास्थ्य-निगरानी ढांचा लगभग अनुपस्थित है।

पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन ने खाद्य और आजीविका संकट को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, और भूजल स्तर में गिरावट ने उस पारिस्थितिकी आधार को प्रभावित किया है जो कभी सहरिया की आजीविका का समर्थन करता था। जलवायु परिवर्तन के कारण असमान वर्षा और बढ़ती तापमान ने उनकी पारंपरिक कृषि प्रथाओं को अस्थायी बना दिया है। फसल विफलताएँ, घटती वन उत्पाद, और जैव विविधता की हानि न केवल खाद्य उपलब्धता को कम करती है बल्कि अधिक बार प्रवासन को मजबूर करती है और गरीबी को गहरा करती है। ये पारिस्थितिकी परिवर्तन राज्य से किसी भी अनुकूलन समर्थन या मुआवजे की व्यवस्था के बिना हुए हैं, जो जनजातीय जनसंख्या द्वारा सामना की जा रही पर्यावरणीय कमजोरियों की व्यापक उपेक्षा को दर्शाता है (अग्रवाल, 2018)

निर्धारित जनजातियों के बीच जमीनी गरीबी और खाद्य असुरक्षा का समाधान करने के लिए, जिसमें बारां जिले के सहरिया शामिल हैं, लगातार सरकारों ने कल्याणकारी हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला पेश की है। इनमें जनजातीय उप-योजना (टीएसपी), सार्वजनिक वितरण

प्रणाली (पीडीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), और विभिन्न पोषण और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं। इनके संभावित प्रभाव के बावजूद, जनजातीय संदर्भों में इन हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता अक्सर खराब कार्यान्वयन, कमजोर जवाबदेही, और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक योजना की कमी के कारण कमजोर हो जाती है।

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी), जिसे अब अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के रूप में नामित किया गया है, एक नीति तंत्र है जिसका उद्देश्य राज्य और केंद्रीय बजट का एक हिस्सा विशेष रूप से जनजातीय कल्याण के लिए निर्धारित करना है, जो उनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी के अनुपात में है। राजस्थान में, इससे जनजातीय विकास ब्लॉकों और योजनाओं का निर्माण हुआ है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, और आजीविका तक पहुँच को सुधारने पर केंद्रित हैं। हालाँकि, बारां में टीएसपी का प्रभाव सीमित है क्योंकि धन का विचलन, नौकरशाही की सुस्ती, और भागीदार योजना की कमी है। सहरिया, जो पीवीटीजी हैं, को वनबंधु कल्याण योजना के तहत विशेष कार्यक्रमों से लाभान्वित होना था, लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि नीति डिजाइन और क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन के बीच एक अंतर है (जनजातीय मामलों मंत्रालय, 2018)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) खाद्य सुरक्षा के अधिकारों में से एक सबसे स्पष्ट है। सिद्धांत में, यह गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को सब्सिडी वाले अनाज, दालें, और केरोसिन प्रदान करता है। हालाँकि, व्यवहार में, सहरिया समुदाय पुराने या गायब राशन कार्ड, दूरदराज के क्षेत्रों में असमान आपूर्ति, और खाद्य पदार्थों के स्थान पर नकद हस्तांतरण के कारण बहिष्कृत होते हैं, जिन्हें वे प्रबंधित करना मुश्किल पाते हैं। फिर भी, कुछ अच्छी तरह से कार्यरत ग्राम पंचायतों में, निरंतर पीडीएस वितरण ने तीव्र भूख को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से सुसंगत पीडीएस वितरण ने तीव्र भूख को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। (खेरा, 2011)।

MGNREGA, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों की वेतन रोजगार प्रदान करना है, भी असमान रूप से प्रभावी रहा है। बारां में, यह आय और खाद्य असुरक्षा दोनों को संबोधित करने की क्षमता रखता है, विशेष रूप से गैर-कृषि मौसम के दौरान। हालाँकि, विलंबित भुगतान, कमजोर जागरूकता, और स्थानीय राजनीतिक कब्जे ने इसके पहुँच को सहरियाओं के बीच सीमित कर दिया है। जहाँ प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, MGNREGA ने संपत्ति निर्माण - जैसे जल संचयन संरचनाएँ और बढ़ी हुई खरीद शक्ति के माध्यम से खाद्य पहुँच में सुधार किया है (डे - बेदी, 2010)। मोबाइल निगरानी प्रणाली और सामाजिक ऑडिट ने कुछ क्षेत्रों में जवाबदेही में सुधार किया है, लेकिन ये नियम के बजाय अपवाद बने हुए हैं।

पोषण-विशिष्ट कार्यक्रम जैसे कि एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS) और पोषण अभियान जनजातीय महिलाओं और बच्चों के बीच कुपोषण से लड़ने में महत्वपूर्ण हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पूरक पोषण, टीकाकरण, और विकास निगरानी के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। हालाँकि, स्टाफ की कमी, खराब प्रशिक्षण, और भ्रष्टाचार अक्सर यह सुनिश्चित करते हैं कि सबसे कमजोर गर्भवती महिलाएँ और शिशु अपर्याप्त सेवाएँ प्राप्त करें। 1. भ। (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और चब् (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) के

माध्यम से स्वास्थ्य वनजतमंबी वन क्षेत्रों में चववत बवददमबजपअपजल और समुदाय और स्वास्थ्य प्रदाताओं के बीच विश्वास की कमी के कारण सीमित है।

सहारियाओं के लिए, नीति के इरादे और जीती-जागती वास्तविकताओं के बीच की खाई को पाटने के लिए केवल तकनीकी समाधान ही नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और सांस्कृतिक सहानुभूति की भी आवश्यकता है।

तुलनात्मक विश्लेषण

बारां की सहरिया जनजाति खाद्य और आजीविका असुरक्षा का एक तीव्र मामला प्रस्तुत करती है, भारत में अन्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) और अनुसूचित जनजातियों के बीच समान पैटर्न देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के बैगा, झारखंड के बिरहोर, और ओडिशा के जुआंग जैसी समुदाय समान चुनौतियों का सामना करते हैं। जैसे- भूमिहीनता, पारिस्थितिकीय हाशियाकरण, खराब स्वास्थ्य सूचकांक, और संस्थागत अधिकारों से बहिष्कार। उदाहरण के लिए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय (2018) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि PVTGs के बीच 60% से अधिक परिवार कृषि के खराब मौसम के दौरान भूख या अर्ध-भूखमरी का सामना करते हैं, जो सिकुड़ते वन अर्थव्यवस्था और कमजोर कल्याण कार्यक्रमों से बढ़ जाता है। ये समूह, सहारियाओं की तरह, नीति निर्माण और जनजातीय वास्तविकताओं के बीच ऐतिहासिक **disconnect** से पीड़ित हैं।

तुलनात्मक दृष्टिकोण से, जनजातीय समुदाय आमतौर पर पोषण और खाद्य सुरक्षा संकेतकों पर गैर-जनजातीय ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में खराब प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के डेटा से पता चलता है कि जनजातीय बच्चों और महिलाओं में कद में कमी, वजन की कमी, और एनीमिया की प्रचलन राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। उदाहरण के लिए, जबकि राष्ट्रीय बाल कद में कमी की दर लगभग 35.5% है, यह कई राज्यों में जनजातीय जनसंख्या में 45% से अधिक है, जिसमें राजस्थान और ओडिशा शामिल हैं (IIPS, 2021)। इसके अलावा, जबकि गैर-जनजातीय ग्रामीण गरीब भी गरीबी से जूझ सकते हैं, उनके पास आमतौर पर शिक्षा, बाजार संबंधों, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक बेहतर पहुंच होती है, जो उनकी राज्य के अधिकारों की मांग और उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाती है।

सिफारिशें और नीति के निहितार्थ

बारां जिले में सहरिया जनजाति द्वारा अनुभव की जा रही निरंतर खाद्य असुरक्षा एक विखंडित कल्याण वितरण से एक एकीकृत, जनजातीय-केंद्रित विकास मॉडल में बदलाव की मांग करती है। एक व्यापक नीति प्रतिक्रिया को गरीबी और हाशियाकरण की संरचनात्मक जड़ों को पहचानना चाहिए, जबकि पारिस्थितिकीय स्थिरता, सांस्कृतिक विशिष्टता, और भागीदारी शासन को प्राथमिकता देनी चाहिए।

जीविका सुरक्षा को मजबूत करना, खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने के लिए मौलिक है। जीविका हस्तक्षेपों को अल्पकालिक रोजगार योजनाओं से परे जाना चाहिए और इसके बजाय कृषि-पर्यावरण, छोटे वन उत्पाद (MFP) मूल्य श्रृंखलाओं, और स्थानीय उद्यमिता में निहित

सतत विकास मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए। जनजातीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, और जलवायु-प्रतिरोधी प्रथाओं में क्षमता निर्माण आय और खाद्य पहुंच दोनों को बढ़ा सकता है। MGNREGA का जलग्रहण प्रबंधन और कृषि वानिकी कार्यक्रमों के साथ समन्वय दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण और रोजगार के लिए संस्थागत होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा ढांचे को जनजातीय-केंद्रित रूप से फिर से डिजाइन करने की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें आहार विविधता, सांस्कृतिक खाद्य प्रथाएं, और मौसमी संवेदनशीलताएं शामिल हों। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को विकेंद्रीकृत और विविधीकृत किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय रूप से पसंद किए जाने वाले बाजरे, दालों, और तेल बीजों को शामिल किया जा सके। सामुदायिक रसोई, स्थानीय उगाए गए सब्जियों, और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के साथ CDS और मध्याह्न भोजन योजनाओं को मजबूत करना बच्चे और मातृ पोषण परिणामों में सुधार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, पोषण साक्षरता अभियानों स्थानीय बोलियों और जनजातीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उपयोग करके खाद्य पहुंच और उपयोग के बीच की खाई को पाट सकते हैं। वन अधिकार अधिनियम (2006) के तहत वन अधिकारों को बढ़ावा देना जीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। सहरिया गांवों के लिए सामुदायिक वन संसाधन (बूट) अधिकारों की मान्यता वन उत्पादों तक पहुंच को पुनर्स्थापित कर सकती है, जो आय, आहार पूरक, और सांस्कृतिक पहचान के लिए आवश्यक है। स्थानीय रोजगार को जनजातीय सहकारी समितियों, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों, और शिल्प आधारित सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से बढ़ावा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन्हें बाजार संबंधों, डिजिटल प्रशिक्षण, और जनजातीय विकास एजेंसियों के माध्यम से ऋण पहुंच द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। ऐसे पहलों की सफलता भागीदारी योजना और निगरानी पर निर्भर करती है। ग्राम सभाओं को जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने, कार्यान्वित करने, और ऑडिट करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए। स्थानीय जनजातीय युवाओं को सामुदायिक संगठक, पोषण शिक्षकों, और सामाजिक ऑडिटर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिससे जवाबदेही और सांस्कृतिक अनुनाद सुनिश्चित हो सके।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल बी. लिंग और हरे शासन: सामुदायिक वनों में और उसके बाहर महिलाओं की उपस्थिति की राजनीतिक अर्थव्यवस्था. ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2018.
2. भारत की जनगणना. प्राथमिक जनगणना सारांश: राजस्थान. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2011.
3. डे एन, बेदी. गरीबों को सशक्त बनाना? राजस्थान में NREGA. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. 2010;45(10):55-62.
4. ट्रेज जे, खेरा आर. भारत में हाल की सामाजिक सुरक्षा पहलें. विश्व विकास. 2017; 98:555-572.
5. FAO. खाद्य सुरक्षा के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय. रोम: खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र; 2008.
6. गुप्ता डी. सामाजिक विभाजन. ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2002.

7. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), भारत तथ्य पत्रक. मुंबई: IIPS; 2021.
8. खेरा आर. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनरुद्धार: साक्ष्य और स्पष्टीकरण. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. 2011;46(44-45):36-50.
9. खेरा आर. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज के विचलन में प्रवृत्तियाँ. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. 2011;46(21):106-114.
10. जनजातीय मामलों का मंत्रालय. वार्षिक रिपोर्ट 2017-18. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2018.
11. जनजातीय मामलों का मंत्रालय. भारत में PVTG के विकास पर रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2018.
12. जनजातीय मामलों का मंत्रालय. वन अधिकार अधिनियम स्थिति रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2021.
13. मोसे डी, गुप्ता एस, मेहता एम. ब्रोकरी की आजीविका: ऋण, श्रम प्रवासन और पश्चिमी भारत में विकास. विकास अध्ययन जर्नल. 2002;38(5):59-88.
14. नारायण एस, भूषण सी, कुमार एस. किनारे पर जीवन: राजस्थान की सहरिया जनजाति. नई दिल्ली: विज्ञान और पर्यावरण केंद्र; 2017.
15. राव एन, अग्रवाल बी, शाह एम. जनजातीय भारत में पोषण और खाद्य सुरक्षा: एक नई नीति ढांचे की आवश्यकता. भारतीय मानव विकास जर्नल. 2015;9(1):1-22. doi:10.1177/0973703015581710.
16. सुंदर एन. राज्य के खिलाफ कानूनी आंदोलन: भारत में जनजातीय अधिकार और वन संरक्षण. कानून और समाज समीक्षा. 2008;42(4):871-898.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Non-commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

Disclaimer: The views, opinions, statements, and conclusions expressed in the papers, abstracts, presentations, and other scholarly contributions included in this conference are solely those of the respective authors. The organisers and publisher shall not be held responsible for any loss, harm, damage, or consequences — direct or indirect — arising from the use, application, or interpretation of any information, data, or findings published or presented in this conference. All responsibility for the originality, authenticity, ethical compliance, and correctness of the content lies entirely with the respective authors.